22/11/24 पत्रा भेज दी। अभी तक उसके अनि. उप. नहीं देखने।
श्री S.D मिश्रा उप. अभी तक उसके अति को
रूम बाद आवास किसी नहीं लेकिन अब नहीं हुए।
अदालत लाभ व्यक्ति को कई बार बुला। अभी तक
उसके अति को आवास दिलाने नहीं लेकिन
कोई उप नहीं हुए। देखो अति. ने मामले
व्यापक उठे के विवेचना दिया। अतः अभी
अदन लाभी व अदन पैरवी अभी. ने व्यापारे
की जाती है। निर्णय बुला होकर पत्रा, व्याज
लाभ लाभ व्यापक बकाया है। अदालतों
की लाभी। यह भाति अभी. VAM. का अभिलेख
लोधया जाए।

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा